

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड भोपाल
क्रमांक/स्थापना/ख/674/1908 भोपाल, दिनांक 16/10/2025

// आदेश //

म.प्र. शासन की सोयाबीन भावान्तर भुगतान योजना का प्रदेश की समस्त कृषि उपज मण्डी समितियों में सुचारु रूप से संचालन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। कतिपय मण्डी/उपमण्डियों में सोयाबीन की अत्यधिक आवक होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए मण्डियों में पदस्थ अमले की कमी की पूर्ति हेतु आवश्यकता का आंकलन कर भावान्तर भुगतान योजना की अवधि तक के लिये अधीनस्थ संभाग की मण्डियों के कर्मचारियों को अन्य मण्डियों में कार्य करने के लिये निर्देशित करने हेतु संयुक्त/उप संचालक, आंचलिक कार्यालयों को अधिकृत किया जाता है।

उक्त आदेश सोयाबीन भावान्तर भुगतान योजना अवधि तक के लिये प्रभावशील रहेगा।


(अनुराग सक्सेना)

अपर संचालक
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

क्रमांक/स्थापना/ख/674/1909

भोपाल, दिनांक 16/10/2025

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1 निज सहायक, सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय भोपाल।
- 2 निज सहायक, प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
- 3 संयुक्त/उप संचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय(समस्त)।
- 4 भारसाधक अधिकारी/सचिव कृषि उपज मण्डी समिति (समस्त)
- 5 आदेश नस्ती/समस्त शाखा।


अपर संचालक
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल